93

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1213–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 42/अपील/2014–15.

.....

1–राजीव गर्ग पुत्र स्व0श्री लालताप्रसाद
2–राकेश गर्ग पुत्र स्व0श्री लालताप्रसाद
3–राघव गर्ग मृतक पुत्र स्व0श्री लालताप्रसाद (वारिसान)
निवासी जैन मंदिर संतरमाल रोड मुरार ग्वालियर
1–राजन गर्ग पुत्र स्व0 श्री राघव गर्ग
2–रोमा गर्ग पुत्री स्व0श्री राघव गर्ग
3–पूनम गर्ग पत्नी स्व0श्री राघव गर्ग
निवासी जैन मंदिर संतरमाल रोड मुरार ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–सुरेश कालरा पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र कालरा
2–सरिता कालरा पत्नी श्री सुरेश कालरा
निवासी 24–ए बंसत बिहार ग्वालियर
3–कैलाश प्रसाद पुत्र रामप्रसाद
4–शिवप्रसाद पुत्र रामप्रसाद
5–कृष्णप्रसाद पुत्र रामप्रसाद
निवासी नया बाजार ग्वालियर
6–भगवती प्रसाद पुत्र मुशीलाल
7–ओमप्रकाश पुत्र मुशीलाल
8–अभयकुमार पुत्र मुरारीलाल
9–सुमित कुमार पुत्र मुरारीलाल
कै0रूपसिंह स्टेडियम झांसीरोड ग्वालियर
10–एम0डी0हॉस्पीटलटी प्राय0लिमि0द्वार मैनेजिंग
डायरेक्टर श्राको मंगल मालरोड मुरार ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री संजय शुक्ला, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष आवेदक कमांक 1, आवेदक कमांक 2 एवं अनावेदक कमांक 3 द्वारा ग्राम महलगांव स्थित भूमि सर्वे कमांक 454/मिन 2 रकबा 0.031 हेक्टेयर जो कि उनके सहस्वामित्व की भूमि थी, के बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–3/12–13 दर्ज किया जाकर दिनांक 24–2–14 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–10–14 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 24–2–14 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–3–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् अभिलिखित भूमिस्वामीयों को सूचना दी गई है और फर्द बटांन में जिन व्यक्तियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है वह प्रश्नाधीन भूमि में सहभूमिस्वामी नहीं थे । इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये उनकी आपत्तियों का निराकरण करते हुये बटांकन आदेश पारित किया गया है, जिसे दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों

द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा सह खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया था अतः अपील पक्षकार के अंसयोजन के कारण ही निरस्त किये जाने योग्य थी, इस बिन्दु पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 एवं 10 को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है इसके बावजूद जानकारी के गलत स्त्रोत दर्शाते हुये प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी जिसे अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाना चाहिये था क्योंकि तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 व 2 एवं 10 ने उपस्थित होकर पक्ष समर्थन किया है । अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के स्थल निरीक्षण हेतु आयुक्त नियुक्त किया गया था और आयुक्त बिना आवेदकगण को सूचना दिये उनके पीठ पीछे स्थल निरीक्षण किया गया है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कूट परीक्षण में आयुक्त से प्रश्नाधीन भूमि की सीमाएं एवं क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया था जिसका उत्तर उन्हें नहीं दिया गया है इसके अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है उसपर केवल अनावेदक कमांक 1 व 2 के हस्ताक्षर है जो कि पडोसी कृषक नहीं है अतः ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण कराया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत सभी आपत्तियों का निराकरण करते हुये आदेश पारित किया गया था, जिसे निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है, इसलिये दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा तहसील न्यायालय में आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई थी जिनका निराकरण तहसील न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और उनका व्यपवर्तन भी करा लिया गया है तथा प्रश्नाधीन भूमि पर बाउण्ड्रीवाल

बनी हुई है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा किया गया बटांकन पूर्णतः अवैधानिक था अतः बटांकन निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 कृषि भूमि पर लागू होती है और प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से बटांकन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया है जिस पर अनावेदक की ओर से सर्वे नम्बर 454 में से भूमियॉ पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किये जाने के आधार पर बटांकन/बटवारा में आपत्ति प्रस्तुत की गई है, परन्तु तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, न तो फर्द का प्रकाशन कराया गया है और न ही कब्जे की स्थिति को विचार में लिया गया है । संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर व्यवहार न्यायालय से निराकरण हेतु तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित की जाना चाहिये और तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की जाने के कारण आपत्ति प्रस्तुत की गई है जिसमें स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हुआ है । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा कोर्ट कमिश्नर (न्यायालयीन आयुक्त) नियुक्त कर मौके पर स्थल निरीक्षण कराया गया है जिसमें भी उपरोक्त तथ्यों की ही पुष्टि हुई है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर